कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जयपुर में उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ–शहर एवं निरीक्षक 5 लाख रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *11 जुलाई, मंगलवार*। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर विशेष अनुसंधान इकाई, जयपुर द्वारा आज कार्यवाही करते हुये देशराज यादव उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ–शहर, जयपुर एवं अरूण प्रताप सिंह निरीक्षक, सहकारी समितियाँ, जयपुर को परिवादी से **5 लाख रूपये** की रिश्वत लेते हुये गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की विशेष अनुसंधान इकाई, जयपुर को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि कॉपरेटिव सोसायटी के किरायेशुदा कार्यालय पर सहकारिता विभाग की टीम द्वारा डाली गई रेड की कार्यवाही में मदद करने की एवज में देशराज यादव उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ–शहर, जयपुर एवं अरूण प्रताप सिंह निरीक्षक, सहकारी समितियाँ, जयपुर द्वारा **20 लाख रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री रणधीर सिंह** के सुपरवीजन में एसीबी विशेष अनुसंधान इकाई, जयपुर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री बजरंग सिंह शेखावत** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री रघुवीर शरण** द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये देशराज यादव पुत्र श्री रामजीलाल यादव निवासी 15, सरस्वती नगर–ए, गैटार रोड़, मालवीय नगर, जयपुर हाल उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ–शहर, जयपुर एवं अरूण प्रताप सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह निवासी फ्लेट नं0 808, आशियाना ग्रीन वुड, जगतपुरा, जयपुर हाल निरीक्षक, सहकारी समितियाँ, जयपुर को परिवादी से **5 लाख रूपये** की रिश्वत राशि लेते हुये गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपियों द्वारा शिकायत करने से पूर्व ही परिवादी से **5 लाख रुपये** रिश्वत राशि के रूप में वसूल कर चुके थे।

एसीबी के महानिरीक्षक श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** 1064 *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** 94135–02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।